

लक्ष्मणराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 184 / 2020

13.11.20

अपीलार्थी लक्ष्मणराम पुत्र मगनाराम विश्नोई, पता सावलनगर मूलराज लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.09.20 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय के पत्रांक क्रमांक/2012/374 दिनांक 09.02.2012 के तहसीलदार फलोदी को कौन से वर्ष की लोहावट विश्नावास की आबादी आवंटन की मूल पत्रावलीया भेजी इनकी सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

